"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 357] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 8 दिसम्बर 2009—अग्रहायण 17, शक 1931

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-113/सात-2/2008.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 98 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व प्रकाशन को यथावत् रखते हुए, उक्त संहिता की धारा 98 के अधीन नगरीय क्षेत्रों में भूमि के निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण के संबंध में निर्मित नियम में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 32 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाये ;—

"(33) नवीन पर्यटन परियोजनाओं हेतु भूमि व्यपवर्तन के लिए 10 (दस) एकड़ तक की भूमि को पुनर्निर्धारण से छूट दिया जाना है साथ ही हेरीटेज होटलों के मामले में पुनर्निर्धारण हेतु पूर्ण छूट दिया जाना है."

Raipur, the 7th December 2009

NOTIFICATION

No. F-2-113/Seven-2/2008.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 98 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government hereby makes the following further amendment in the rules regarding Assessment and Reassessment of Land in Urban Areas made under section 98 of the said code, the same having been previously published as required by the sub-section (3) of section 258 of the said Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), namely :—

AMENDMENT

In the said rules ;—

After rule 32, the following rule shall be inserted :—

"(33) Reassessment exemption for land diversion is to be given upto 10 (Ten) Acres of land for new Tourism projects as well as full exemption is to be given in the case of Heritage Hotels for reassessment."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.